

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)()डीएलबी/2020/4803

दिनांक: 14-3-2022

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर पालिका डीडवाना में न्यायिक प्रकरणों की प्रभावी पैरवी करने हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर पेनल अधिवक्ता/विधि सलाहाकार एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

क्र.स	अधिवक्ता का नाम	Enrollment Number	नगर पालिका का नाम
1	श्री रूपाराम महला	R/489/1981	नगर पालिका डीडवाना
2	श्री चैनाराम थोरी	R/059/1989	नगर पालिका डीडवाना

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानदेय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.2013 तथा परिपत्र क्रमांक 1447-1937 दिनांक 04.03.2014 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर पालिका डीडवाना से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)()डीएलबी/2020/4804-4813

दिनांक: 14-3-2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग अजमेर।
5. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका डीडवाना उपरोक्त अधिवक्ताओं को मासिक देय पारिश्रमिक भुगतान हेतु सूचना दी जा रही है।
6. श्री रूपाराम महला अधिवक्ता मार्फत नगर पालिका डीडवाना।
7. श्री चैनाराम थोरी अधिवक्ता मार्फत नगर पालिका डीडवाना।
8. प्रोग्रामर, IT सेल निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी